भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2655
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: दिल्ली में किसानों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

2655. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं मिल पाने और उनके केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाने की सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं के लागू न होने से प्रभावित हुए दिल्ली के किसानों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इस संबंध में मुद्दों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने और फसलों को दिल्ली से बाहर बेचने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करती है। इन योजनाओं में कृषि का संपूर्ण स्पेक्ट्रम जैसे ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित सभी फसलें, बीज, मशीनीकरण, मार्केटिंग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, कृषक समूह, सिंचाई, प्रसार सेवाएँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल की खरीद तथा डिजिटल कृषि सम्मिलित है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** पर दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में योजनाओं के क्रियान्वयन न होने से प्रभावित किसानों की संख्या संबंधी जानकारी का रख-रखाव केंद्र स्तर पर नहीं किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) की 21 किस्तें संवितरित की गई हैं। दिल्ली के किसानों को कुल 53.79 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं। इसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) की 21वीं किस्त के अंतर्गत 10,547 लाभार्थियों को 2.11 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पी.एम.-के.एम.वाई.) के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक 370 किसानों का नामांकन किया गया है।

दिनांक 25.11.2025 तक एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) के अंतर्गत 16 परियोजनाओं के लिए 23 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 41 करोड़ रुपये है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के सभी घटकों के लिए 96.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। कृषोन्नति योजना (के.वाई.) के सभी घटकों के लिए 20.49 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। दिल्ली सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी.एम.-आर.के.वी.वाई.) और कृषोन्नति (के.वाई.) के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए भारत सरकार ने क्रमशः 5.77 करोड़ रुपये और 1.10 करोड़ रुपये की कार्य योजना को मंज़ूरी दी है।

सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर देशभर (दिल्ली सहित) में 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित करती है। दिल्ली में एम.एस.पी. पर खरीद अभी प्रारंभ नहीं की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली हानि की स्थिति में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) तथा मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा किसानों के लिए स्वैच्छिक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

अनुबंध-I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
6. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
7. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
9. नमो ड्रोन दीदी
10. स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
13. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
14. कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएमएएम)
15. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
16. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
17. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
18. कृषि वानिकी
19. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
20. कृषि विस्तार उप मिशन (एसएमएई)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****